# कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः बे०शि०/के०जी०बी०वी०/ 6279 / 2024-25, दिनांकः 27 जुलाई, 2024

## विज्ञप्ति

शासनादेश संख्याः 2805 / 68-5-2023-05 / 2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग - 5 लखनऊ दिनांकः 01 फरवरी, 2023 के अनुपालन में राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्याः के०जी०बी०वी०/11308/2022-23, दिनांक 14.02.2023 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में संचालित 03 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के रिक्त पदों पर नवीन चयन की कार्यवाही शासनादेश संख्याः 1553 / 68-5-2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांकः 11 दिसम्बर, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार संविदा आधारित शैक्षिक / शिक्षणेतर कर्मियों की नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर, पिन कोड - 201306 में दिनांक 12.08.2024 की सायं 05:00 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

| क्र. सं. | विद्यालय का नाम | रिक्त पद का नाम | मानदेय (रु० में) | शैक्षिक योग्यता | विषय का विवरण | वर्ग | रिक्त पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दनकौर (मॉडल-II) | पूर्णकालिक शिक्षिका | 24200 | 1.विज्ञान (जेड०बी०सी० वर्ग) से प्रशिक्षित स्नातक। 2. एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड० / समकक्ष एल०टी० इत्यादि 3.उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० परीक्षा उत्तीर्ण। | विज्ञान | अनारक्षित | 1 |
| 2 | दनकौर (मॉडल-II) | अंशकालिक शिक्षिका | 12181 | 1. प्रशिक्षित स्नातक। 2. प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड० / समकक्ष एल०टी० इत्यादि। 3. पी०जी०डी०सी०ए०/ बी०सी०ए०/ बी०एस०सी० (कम्प्यूटर साइंस) अथवा डी०ओ०ई०ए०सी०सी० या समकक्ष संस्था से "ओ लेवल"/ "ए लेवल" डिप्लोमा। | कम्प्यूटर शिक्षा | 01 अनारक्षित एवं 01 अनुसूचित | 2 |
| 3 | जेवर (मॉडल-I) | अंशकालिक शिक्षिका | 12181 | | | | |
| 4 | दादरी (मॉडल-I) | पूर्णकालिक लेखाकार | 13673 | 1.स्नातक (वाणिज्य) 2. [illegible] कार्य का ज्ञान। [illegible] या समकक्ष [illegible] शिक्षा में "ओ लेवल" डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता। | - | - | 2 |
| 5 | दनकौर (मॉडल-II) | पूर्णकालिक लेखाकार | 13673 | | | | |
| 6 | दादरी (मॉडल-I) | [illegible] रसोइया | 6433 | 1. कक्षा 8 उत्तीर्ण। 2. शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। 3. भोजन बनाने में निपुण हो। | - | 01 अनुसूचित | 1 |
| 7 | दादरी (मॉडल-I) | चपरासी | 7147 | 1. कक्षा 8 उत्तीर्ण। 2. शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। | - | - | 1 |
| | | | | कुल | | | 07 |

**शर्तें एवं निर्देश-**

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर साफ एवं सुन्दर अक्षरों में हस्तलिखित/ अंकित ही स्वीकार्य होगा।
2. पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक लेखाकार, सहायक रसोईया, एवं चपरासी के पद पर महिला अभ्यर्थी ही केवल पात्र होंगे तथा तथा अंशकालिक शिक्षिका पद के अतिरिक्त उक्त समस्त पद पूर्णकालिक होंगे।
3. सहायक रसोईया, एवं चपरासी का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा तथा शेष पदों पर मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा।
4. सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार देय होगा।
5. आवेदित पद का नाम, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में अंकित होना आवश्यक है।
6. आवेदन पत्र के साथ अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों (शैक्षिक एवं प्रशिक्षण), चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जायें। साक्षात्कार / काउन्सलिंग के समय समस्त उपरोक्त सम्बन्धित अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखे दो लिफाफे जिसमें प्रत्येक पर रू0- 42.00 का डॉक टिकट लगा हो, संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर "**कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय**", पद का नाम एवं विज्ञापन संख्या अवश्य अंकित करें।
8. समस्त पदों हेतु आयु सीमा 01-04-2024 को न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष है। राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
9. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हों, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहें हैं, उन शिक्षिकाओं द्वारा नवीन चयन में आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जायेगी, किन्तु उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
10. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये हैं, उनके द्वारा आवेदन के समय सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करने पर ही रा०प०का० के निर्देश के क्रम में नियमानुसार के०जी०बी०वी० में की गई सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा, किन्तु अधिकतम अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त नवीन चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या के०जी०बी०वी० / 3-2/ 1916/2013-14 दिनांक 29.07. 2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टी०ई०टी० की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।
11. पूर्ण कालिक कर्मियों के पद पर नियुक्ति के उपरान्त विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा तथा साथ में अपने से सम्बन्धित अन्य किसी सदस्य को नहीं रखा जायेगा।
12. उक्त पदों पर चयन शैक्षिक सत्र 2024-25 (31 मार्च, 2025 तक के लिए) हेतु होगा। सम्बन्धित कर्मियों का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर ही संविदा अवधि अगले शैक्षिक सत्र के लिए बढ़ाने हेतु समिति को अधिकार है तथा सेवायें संतोषजनक न होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के संविदा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
13. शैक्षिक /शिक्षणेतर स्टॉफ की नवीन चयन के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक द्वारा चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित बोर्ड / परीक्षा संस्था से सत्यापन एवं आधार व निवास प्रमाण पत्र का सत्यापनोपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा तथा मूल अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित/संरक्षित किया जायेगा।
14. रिक्तियों की संख्या घट व बढ़ सकती हैं, जिसके सम्बन्ध में पदवार आरक्षण का निर्धारण चयन समिति के निर्णय के अधीन होगा।
15. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
16. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार / काउन्सलिंग के लिए आने-जाने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. अपरिहार्य स्थिति में विज्ञप्ति बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है जिस हेतु कोई भी वाद मान्य नहीं होगा तथा विज्ञप्ति लिपिकीय त्रुटि के अधीन रहेगी।
18. उपरोक्त समस्त चयन मा० न्यायालय में योजित याचिकाओं में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन होगा।